न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - Jodhewala

वादपत्र संख्या 64/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

जगमोहनसिंह आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक ढींगांवाली राठान चक 4 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. करनैलसिंह आत्मज श्री विचित्रसिंह, जटसिख, चक 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. बलजिन्द्रसिंह,
3. गुरमीतसिंह एवं
4. हरमीतसिंह आत्मजन श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 4 एल एल ढींगावाली राठान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1से4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

दिनांक 25 मई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 हैक्टर में से 1.962 हैक्टर, खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50, 51 की कुल 6.387 हैक्टर में से 6.323 हैक्टर, खाता संख्या 40/38 मुरब्बा नम्बर 35 की 1.518 हैक्टर में से 0.758 हैक्टर कुल 0.043 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता के नाम पर दर्ज है. जो कि पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है जो पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है. जिसमें वादी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के साथ घरू बंटवारा किया गया जिसके अनुसार वादी को खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 में से 1.771 हैक्टर कृषि भमि दी गयी. मौका पर वादी 1.771 हैक्टर कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है. मौका पर फसलें खड़ी हैं. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से विभाजन करवाकर उसके नाम पर उसके हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज करवा देंगे. इसी विश्वास पर वादी द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर काफी धन का व्यय करते हुऐ भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये गये हैं कुछ दिन पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के लिये कई बार आग्रह किया गया जिस पर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 मई, 2018 को वादी के हिससा की भूमि देने से इन्कार कर दिया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नहीं देना चाहता है उक्त सिथति में, उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति में से

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी अपने अकिारों की घोषणा करवाना चाहता है. जिसके लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. तथा यही वाद हेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी की घोषणा करते हुऐ वादी के नाम पर पृथक खाता एवं लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 6 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, नामान्तरकरण संख्या 3, नामान्तरकरण संख्या 62, तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश कमांक 1649 दिनांक 28 अप्रेल, 1997, नामान्तरकरण संख्या 236 एवं नामान्तरकरण संख्या 243 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वयं कैम्प– बुर्जवाली में उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 23 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8746 5995 1975, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4709 6625 2724, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7580 9869 2422, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या RJ/01/007/426173 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8489 0027 0878 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा कैम्प– जोधेवाला में जवाब वादपत्र दिनांक 25 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके प्रश्नगत कृषि भूमि के पैतृक होने को सिद्व करने का भार वादी पर है.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 19 क अनुसार यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सह अभिधारी किसी करार पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिकीत किया जावेगा. इसके साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार किसी भी विचाराधीन वादपत्र में ऐसे सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो सह कृषकों को ऐसी सहमति के आधार पर ही डिकी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

की जावेगी. सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नहीं लगायें कि सह कृषकों ने बंटवारा में अपना हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया.

ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान राजीनामा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23 मार्च, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री जगमोहनसिंह को–** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 हैक्टर में से 1.962 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री करनैलसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 हैक्टर में से 1.962 हैक्टर में से 0.191 हैक्टर, खाता संख्या 19/15 के मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 में से 1.010 हैक्टर एवं खाता संख्या 40/38 मुरब्बा नम्बर 35 की 1.518 हैक्टर में से 0.758 हैक्टर कुल 1.959 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री बलजिन्द्रसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री गुरमीतसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर मं से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 4 श्री हरमीतसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि विभाजित की जाती है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– चक जोधेवाला में आज दिनांक 25 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

जगमोहनसिंह आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक ढींगांवाली राठान चक 4 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. करनैलसिंह आत्मज श्री विचित्रसिंह, जटसिख, चक 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. बलजिन्द्रसिंह,
3. गुरमीतसिंह एवं
4. हरमीतसिंह आत्मजन श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 4 एल एल ढींगावाली राठान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

0020 ..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 64/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–5) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री जगमोहनसिंह को– चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 हैक्टर में से 1.962 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री करनैलसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 4.807 हैक्टर में से 1.962 हैक्टर में से 0.191 हैक्टर, खाता संख्या 19/15 के मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 में से 1.010 हैकटर एवं खाता संख्या 40/38 मुरब्बा नम्बर 35 की 1.518 हैक्टर में से 0.758 हैकटर कुल 1.959 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री बलजिन्द्रसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री गुरमीतसिंह को –** चक 6 लए.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर मं से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 4 श्री हरमीतसिंह को –** चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा नम्बर 50 एवं 51 की कुल 6.387 हैक्टर में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि विभाजित की जाती है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00. 00)	प्रतिवादी	राशि (00. 00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर